

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2793]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 28, 2016/अग्रहायण 7, 1938

No. 2793]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 28, 2016/AGRAHAYANA 7, 1938

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2016

का.आ. 3570(अ).—एतद्वारा वास्तुकला परिषद नियमावली, 1973 के नियम 35 के उप-नियम (1) के साथ पठित, वास्तुकला अधिनियम, 1972 (1972 का 20) की धारा 44 की उप-धारा (2) के खंड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार दिनांक 10 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 3 जुलाई, 2013 की अधिसूचना का.आ. 2115(अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है नामतः -

2. उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 1 हेतु तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाता है नामतः -

"1. श्री एन.के. नेगी - वास्तुकला परिषद द्वारा अपने सदस्यों में से चयनित।"

[फा. सं. 4-29/2010-टीएस-VI]

एस. पी. गोयल, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मुख्य अधिसूचना दिनांक 10 जुलाई, 2013 को संख्या का.आ. 2115(अ) द्वारा प्रकाशित की गई थी तथा दिनांक 5 मार्च, 2014, सं. का.आ. 664(अ), दिनांक 2 नवम्बर, 2015 संख्या का.आ. 2980(अ) और दिनांक 9 मई, 2016 की संख्या का.आ. 1681(अ) द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT**(Department of Higher Education)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th November, 2016

S.O. 3570(E).—In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (2) of section 44 of the Architects Act, 1972 (20 of 1972) read with sub-rule (1) of rule 35 of the Council of Architecture Rules, 1973, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Human Resource Development Number S.O. 2115(E), dated the 3rd July, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 10th July, 2013, namely:-

2. In the said notification, for serial number 1 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

“1. Sh. N.K. Negi— elected by Council of Architecture from amongst its members.”

[F. No. 4-29/2010-TS.VI]

S. P. GOYAL, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published vide number S.O. 2115(E), dated the 10th July, 2013 and amended vide number S.O.664(E), dated the 5th March, 2014, number S.O. 2980(E), dated the 02nd November, 2015 and number S.O. 1681(E), dated the 09th May, 2016.